झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक– खा०प्र० 01 ज०वि०प्र०/3–32/2013 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

1 उपायुक्त,
राँची, धनबाद, रामगढ़ एवं खूँटी।

2. प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, लि०,
झारखण्ड।

3. विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, राँची।

4. अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
रामगढ़ एवं खूँटी।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2013–14 के माह अगस्त 2013 में राज्य के चार प्रखण्डों में यथा– गोविन्दपुर (धनबाद), ओरमाँझी (राँची) रामगढ़ सदर (रामगढ़) एवं खूँटी सदर (खूँटी) में पॉयलट बेसिस पर बॉयोमेट्रीक हैण्ड–हेल्ड उपकरण/कूपन से खाद्यान्न वितरण के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक– खा०प्र० 01 ज०वि०प्र०/3–32/2013–2606, दिनांक 02.8.2013।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि चार प्रखण्डों में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत यू०आई०डी० एवं कूपन आधारित खाद्यान्न वितरण में प्रक्रिया से संबंधित कारणों के कारण निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

(i) हैण्ड–हेल्ड डिवाईस को चलाने, कूपन आपूर्ति करने एवं अन्य बिन्दुओं पर प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है एवं द्वितीय चरण के लिये निर्धारित तिथियों पर प्रथम चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जो निम्नवत् है –

प्रथम चरण– दिनांक 12.8.2013 को ओरमाँझी एवं रामगढ़।
दिनांक 13.8.2013 को गोविन्दपुर एवं खूँटी।

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण तिथियों के संबंध में सूचना अलग से दी जायेगी।

(ii) चार पॉयलट प्रखण्डों में यू०आई०डी० आधारित खाद्यान्न वितरण की Testing प्रथम चरण के प्रशिक्षण की तिथि के अगले दिन से अपने प्रखण्ड में प्रारम्भ करें। उद्‌घाटन से संबंधित तिथि की सूचना आपको निकट भविष्य में दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

C:\Users\Vikash\Desktop\Vikash Jun 2013-14 ...\New Microsoft Word Document.docx